प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

सत्यमेव जयते

PM/VI/2011-12/OG-GO/

दिनांक / Date :

To
The Director of Treasuries and Accounts
Insurance Building Complex
Tilak Road Abids
Hyderabad

Sir,

Sub:- Forwarding of four Memos regarding grant DR to Jharkhand State Government pensioners from 01.0.2011

Ref:- 1.Accountant General, (A&E) Jharkhand No Pen III-Jharkhand/DR/SSA419/ 2011-12/11852 dt 14.11.2011.
2. Jharkhand Government, Finance Department NoF-01-19/11/1881 DT 03.09.2011.
3. Jharkhand Government, Finance Department No6/S-4(PR)06/2011/1992 Dt 11.06.2011.
4. Jharkhand Government, Finance Department No6A03/09/2187/V Dt 15.10.2011.
5. Jharkhand Government, Finance Department No6S-1(DR)01/2011-1190/V Dt 11.06.2011.

***

I am herewith enclosing a Special Seal Authority issued by the Principal Accountant General (A&E) , Jharkhand in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

Sr Accounts Officer

Copy To
Joint Director, Pension Payment Office,
Jambagh, M J Road
Nampally,
Hyderabad for information and necessary action.

Sr Accounts Officer

दू०भा०/ Phone : 040-23236810-19, ई-मेल / E-mail : agaeAndhrapradesh@cag.gov.in
Web Site : http://ag.ap.nic.in फैक्स / Fax : 040-23232441 तार / Grams : Accounts

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड का कार्यालय
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), JHARKHAND

No.Pen-III /DR/Jharkhand/SSA No-419 /2011-12/ 11852 Dated:- 14/11/2011

UNDER SPECIAL SEAL AUTHORITY

To,
The

1	Accountant General (A&E), Andhra Pradesh, Saifabad, Hyderabad	500463
2	Director of Audit & Pension Govt of Arunachal Pradesh, Naharlagun	791110
3	Accountant General (A&E), Assam, Guwahati, Maidamgaon, Beltola, Guwahati	781029
4	Accountant General (A&E), Bihar, Birchand Patel Marg, R-Block, Patna	800001
5	Accountant General (A&E),Chatisgarh, 12/27, Raman Mandir Ward, Bilaspur Road, Fafadih Raipur	492009
6	Deputy Director of Accounts / P.A.I. Govt of Goa Directorate of Accounts, Pension Section, Panji, Goa	403101
7	Accountant General (A&E), Gujrat, Ahmedabad Branch, Audit Bhawan, Navarangpura, Ahmedabad	380009
8	Accountant General (A&E), Haryana, Lekha Bhawan, Plot No.4&5, Sector-33-B, Chandigarh	160047
9	Senior Deputy Accountant General (A&E), Himachal Pradesh, Gorton Castle Building, Shimla	171003
10	Principal Accountant General (A&E), Jammu & Kashmir, Near Exhibition Ground, Srinagar	190009
11	Principal Accountant General (A&E), Karnataka, Residency Park Road, Post Box No.5329/5369 Bangalore	560001
12	Accountant General (A&E), Kerla, Post Box No.5607, M.G. Road, Thiruvananthapuram	695039
13	Accountant General (A&E), Madhya Pradesh, Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior	474002
14	Principal Accountant General (A&E), Maharashtra, 2nd Floor, Pratishtha Bhawan,New Marine Lines, Maharshi Karve Road, Mumbai	400020
15	Accountant General (A&E), Maharashtra, West High Court Road, Civil Line, Nagpur	440001
16	Senion Deputy Accountant General (A&E), Manipur, Imphal	795001
17	Accountant General (A&E), Meghalaya, Shilong	793001
18	Accountant General (A&E), Mizoram, Shri Bualhranga Building, Dinthar Aizawl	796001
19	Senior Deputy Accountant General (A&E), Nagaland, Kohima	797001
20	Accountant General (A&E), Orissa, Bhubaneswar	751001
21	Accountant General (A&E), Punjab &Union Territory of Chandigarh, Sector-17E, Chandigarh	160017
22	Principal Accountant General (A&E), Rajasthan, Bhagwan Das Road, Jaipur	302005
23	Senion Deputy Accountant General (A&E),Sikkim, Lekha Pariksha Bhavan, Deorali, PO-Tadong,Gangtok	737102
24	Accountant General (A&E), Tamil Nadu 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai	600018
25	Senion Deputy Accountant General (A&E), Tripura PO-Kunjaban, Agartala	799006
26	Accountant General (A&E), Uttar Pradesh, 20, Sarojini Naidu Marg, Allahabad	211001
27	Accountant General (A&E), Uttarakhand, Dehradun, Oberoy Motor Building, Saharanpur Road Majra,Dehradun	248171
28	PrincipalAccountant General (A&E),West Bengal, Treasury Buildings, No.2, Govt Place(West) Kolkata	700001
29	Director of Accounts and Treasuries, Govt. of Pondicherry, Pondicherry	605001

PM

पो. डोरण्डा, राँची - 834 002 (झारखण्ड) P.O. Doranda, Ranchi - 834 002 (JHARKHAND)
दूरभाष / Telephone : 2412942, 2412582 तार / Telegram : PRINACCTTS RANCHI फैक्स / Fax : 0651-2411745
E-mail : agaeJharkhand@cag.gov.in

30	Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, 3rd Floor,Akbar Bhavan, New Delhi	110007
31	Pay & Accounts Officer (V),Delhi Administration,TIS Hazar, New Delhi	110124
32	Chief Controller of Accounts, M/o External Affairs to the Indian Mission, Kathmandu Akabar Bhavan,Chanakyapuri, New Delhi	110021

Sub ;-1. Enhancement of 10 (Ten) percentage of pay & dearness allowances of The amount of monthly contribution of State employed Official/Officers Under New pension scheme.

2. Enforcement of Ex-gratia lump sum compensation to the family of state Employees with effect from 01-01-2006 in the light of implementation of Recommendations of sixth central pay commission & Govt. of India, Personal Public grievances Pension Ministry, New Delhi's letter No.38/37/ 08-P&PW (A), dated 02-09-2008.

3. Enhanced rate of Dearness Relief to Jharkhand Govt. Pensioners/Family Pensioners w.e.f. 01-07-2011.

4. Fixation of amount of honorarium to the retired state employees on contact Basis before 01-01-2006.

Sir,

I am to enclose herewith the copy of Government of Jharkhand , Finance Department vide their Memo No.जी.पी.एफ .-01-19/11/1881/ dated 03-09-2011, Memo No. वि,प्र,-6/एस-4(वे.0पु0 -06/2011/1192/ वि. dated 11.06.2011 memo No.वि,प्र,-6 ए म.भ.)-03/09/2187/वि0 dated 15-10-2011 & memo No. 6/एस –1(भत्ता)–01/ 2011–1190/वि dated 11.06.2011 on the subject stated above under Special Seal Authority for your information and immediate circulation among all pension disbursing authorities under your jurisdiction.

Receipt of the above Special Seal Authority may please be acknowledged.

Yours Faithfully

Encl:-As stated above.

Sr. Accounts Officer/Pension

Office of the Accountant General (A&E) Jharkhand
07 SEP 2011
Ranchi - 834002

झारखण्ड सरकार
भविष्य निधि निदेशालय
वित्त विभाग
संकल्प

संकल्प संख्या- भ०नि०पी०एफ०-01-19/2011............... राँची, दिनांक - ....

विषय : नई पेंशन प्रणाली के अंतर्गत झारखण्ड राज्य के कर्मचारियों / पदाधिकारियों के मासिक अंशदान की राशि वेतन एवं मंहगाई भत्ता का 10 (दस) प्रतिशत किए जाने के संबंध में ।

झारखण्ड राज्य में नई पेंशन योजना राज्य सरकार के संकल्प संख्या 518/वि० दिनांक 09.12.2004 द्वारा लागू की गयी है ।

1. निर्गत् संकल्प के अनुसार राज्य सरकार के अधीन दिनांक 01.12.2004 अथवा उसके बाद नियुक्त हुए कर्मियों / पदाधिकारियों के लिए नई पेंशन योजना 'झारखण्ड सरकार अंशदायी पेंशन योजना 2004' के रुप में लागू है ।

2. उक्त संकल्प के आलोक में कर्मियों के वेतन एवं मंहगाई भत्ते के कुल योग के 10 (दस) प्रतिशत राशि की कटौती उनके अंशदान एवं समरुप राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है ।

3. बाद में राज्य सरकार द्वारा मंहगाई वेतन का प्रावधान लागू किए जाने के फलस्वरुप नई पेंशन योजना के कर्मियों / पदाधिकारियों के अंशदान के रुप में वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 55/12.03.05 द्वारा वेतन, मंहगाई वेतन एवं मंहगाई भत्ते की कुल राशि के 10 (दस) प्रतिशत की राशि की कटौती एवं समरुप राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने का आदेश दिया गया ।

4. दिनांक 01.01.2006 से छठे पुनरीक्षित वेतनमान के लागू होने के उपरांत राज्य सरकार के कर्मियों / पदाधिकारियों के लिए स्वीकृत पे बैण्ड में मूल वेतन+ग्रेड वेतन की 10 (दस) प्रतिशत की राशि ही उनके अंशदान के रुप में काटी जा रही है तथा समरुप राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है ।

5. राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के पत्र संख्या 25014/14/2001-AIS(II) दिनांक 08.09.2009 एवं पी.एफ.आर.डी.ए. के पत्र संख्या 1/5/2010-PFRDA दिनांक 01.06.11 के आलोक में केन्द्रीय कर्मचारियों / पदाधिकारियों के समान नई पेंशन

1 |

Sukhdev
02/09/11

प्रणाली के अधीन झारखण्ड राज्य के कर्मचारियों / पदाधिकारियों का मासिक अंशदान, वेतन (पे बैण्ड में मूल वेतन+ग्रेड वेतन) एवं मंहगाई भत्ते का 10 (दस) प्रतिशत होगा ।

6. यह आदेश संकल्प निर्गत होने वाले माह से मान्य होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(सुखदेव सिंह)
सरकार के सचिव
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक : जी.पी.एफ.-01-19/11......1881/ राँची, दिनांक 03.09.11

प्रतिलिपि : महालेखाकार (लेखा एवं हक०) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Sukhdev 02/09/11

(सुखदेव सिंह)
सरकार के सचिव
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची

(32)

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

विषय : **छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन एवं भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 38/37/08–P & PW (A), दिनांक 02.09.2008 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों के परिवारों के लिये एकमुश्त अनुग्रह क्षतिपूर्त्ति अनुदान (Exgratia Lump-Sum Compensation) की व्यवस्था को राज्य कर्मियों के परिवारों के लिये दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से लागू करने के संबंध में।**

सरकार द्वारा अपने सेवीवर्ग को केन्द्रीय सेवाशर्त्त के साथ केन्द्रीय वेतनमान एवं अन्य सुविधायें प्रदान करने में बनी सैद्धांतिक सहमति के आलोक में दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से पुनरीक्षित केन्द्रीय वेतनमान की स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि•, दिनांक 28.02.2009 द्वारा प्रदान की गई है। उक्त संकल्प की कंडिका–17 के द्वारा पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण राज्य स्तर पर गठित फिटमेंट कमिटि की अनुशंसा Chapter-5 (अनुलग्नक के रूप में संलग्न) को लागू करने का निर्णय है।

2. राज्य स्तर पर गठित फिटमेंट कमिटि की अनुशंसा Chapter-5 में अंकित प्रावधान यथा "केन्द्रीय कर्मियों के परिवारों को अनुमान्य एकमुश्त अनुग्रह क्षतिपूर्त्ति अनुदान (Exgratia Lump-Sum Compensation) की व्यवस्था के अनुरूप राज्य कर्मियों के परिवारों के लिये भी अनुमान्य करने संबंधी प्रावधान वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि०, दिनांक 28.02.2009 में स्पष्ट रूप से अंकित नहीं रहने के कारण राज्य सरकार के कर्मियों के परिवारों का एकमुश्त अनुग्रह क्षतिपूर्त्ति अनुदान (Exgratia Lump-Sum Compensation) की सुविधा प्रदान करने में कठिनाई हो रही है।

DR

Surya

3. अतः समीक्षोपरान्त भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 38/37/08–P & PW (A), दिनांक 02.09.2008 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों के परिवारों के लिये लागू एकमुश्त अनुग्रह क्षतिपूर्त्ति अनुदान की व्यवस्था के अनुरूप झारखंड राज्य के कर्मियों के नियमित कर्त्तव्य निर्वाह के दौरान निम्नवर्णित स्थितियों में मृत्यु होने पर मृत राज्य कर्मियों के परिवारों के लिये एकमुश्त अनुग्रह क्षतिपूर्त्ति अनुदान (Exgratia Lump-Sum Compensation) का प्रावधान दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से निम्नांकित रूप लागू किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

(क)	कर्त्तव्य अवधि के दौरान दुर्धटना के कारण मृत्यु होने पर	10 लाख
(ख)	कर्त्तव्य अवधि के दौरान उग्रवादी, असमाजिक तत्वों एवं अन्य अवांछित तत्वों के द्वारा हिंसा में मृत्यु होने पर	10 लाख
(ग)	दुश्मन की गतिविधि के चलते अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई अथवा सीमा पर झड़प के कारण, आंतकवादी गतिविधि के कारण मृत्यु होने पर	15 लाख

[signature] 10/01

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा उसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), झारखण्ड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(सुखदेव सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : वि॰प्र॰ 6/एस-4(वे॰पु॰)-06/2011 1192/वि॰ राँची, दिनांक 11/6/11

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), झारखंड, हिनु, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुखदेव सिंह)
सरकार के सचिव

Office of the Accountant General (A&E) Jharkhand
15 JUN 2011
Ranchi - 834002

संख्या : वि॰प्र॰ 6एं (म॰भ॰)–03 / 09....................

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

राँची / दिनांक..................................

संकल्प

विषय : **राज्य सरकार के पेंशन / पारिवारिक पेंशन भोगियों को 01 जुलाई, 2011 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि।**

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660 / वि॰, दिनांक 28.02.2009 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशन भोगियों को केन्द्र सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशन भोगियों की भांति दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से केन्द्रीय पेंशन / पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संकल्प की कंडिका–17(ए॰)(बी॰) के द्वारा केन्द्रीय सरकार के पेंशन भोगियों / पारिवारिक पेंशन भोगियों के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशन भोगियों को पेंशन / पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण एवं अन्य सुविधाऐं सहित महँगाई राहत प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

2. उपर्युक्त के अनुसार केन्द्रीय सरकार के पेंशन भोगियों के भांति दिनांक 01.01.2006 से राज्य सरकार के पेंशन / पारिवारिक पेंशन भोगियों को भी महँगाई राहत अनुमान्य है।

3. भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग के पत्र संख्या–42 / 15 / 2011 पी॰ एण्ड पी॰ डब्लू॰ (जी॰) दिनांक 05.10.2011 के द्वारा केन्द्रीय पेंशन / पारिवारिक पेंशनधारियों को पुनरीक्षित पेंशन में दिनांक 01.07.2011 के प्रभाव से 51% (एकावन प्रतिशत) से बढ़ाकर 58% (अनठावन प्रतिशत) महँगाई राहत के रूप में स्वीकृत किया गया है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्रीय सरकार के पेंशन / पारिवारिक पेंशनधारियों के अनुरूप राज्य सरकार ने भी राज्य के पेंशन / पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01.07.2011 के प्रभाव से महँगाई राहत 51% (एकावन प्रतिशत) से अभिवृद्धि कर 58% (अनठावन प्रतिशत) महँगाई राहत के रूप में स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।

5. उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना यथास्थिति पुनरीक्षित पेंशन अथवा सेवा निवृत्ति के समय प्राधिकृत पेंशन के समेकित पेंशन पर किया जायेगा। एतदर्थ पेंशन की रूपांतरित राशि भी पुनरीक्षित / प्राधिकृत / समेकित पेंशन में शामिल रहेगी। विहित दर पर महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्व में स्वीकृत महँगाई राहत की पूरी राशि सामंजित कर लिया जायेगा।

6. महँगाई राहत की स्वीकृति के कारण भुगतेय राशि में यदि 50 पैसे या उससे अधिक गणना आती हो, तो अगले उच्चतर रुपये में इसे पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

7. पेंशन / पारिवारिक पेंशन पर आदेय महँगाई राहत का भुगतान करते समय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 3556 / वि॰, दिनांक 09.05.1991 में समाविष्ट निदेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त स्थितियों को छोडकर महँगाई राहत शेष सभी

Sukhdev
15/10

असैनिक पेंशन भोगियों को देय होगा, जिन्हें क्षतिपूर्ति/बार्धक्य निवृत्ति/असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक/पारिवारिक/असाधारण पेंशन पाने वाले को भी आदेय महँगाई राहत का भुगतान अनुमान्य होगा।

8. पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलंब के परिहार्य हेतु बिहार कोषागार संहिता भाग–I के नियम–344 (I) के तहत राज्य के अंतर्गत बिना महालेखाकार, झारखंड के प्राधिकार के ही भुगतान का आदेश दिया जाता है। पेंशन भोगियों, द्वारा प्रस्तुत विपत्र के आधार पर कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी महँगाई राहत की राशि का भुगतान करेंगें। साथ ही, सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि बैंको के माध्यम से पेंशन का भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों को त्वरित भुगतान कराने हेतु संबंधित सभी बैंकों को इसकी प्रतियां भेज दिये जाये।

9. राज्य के बाहर आदेय महँगाई राहत की निकासी केवल महालेखाकार, झारखंड के प्राधिकार पर ही किया जायेगा। इस हेतु महालेखाकार, झारखंड से अनुरोध है कि सभी संबंधित महालेखाकार को इस हेतु अविलंब प्राधिकृत कर दिया जाय तथा इसकी सूचना झारखंड सरकार, वित्त विभाग को भी दी जाय।

10. दिनांक 01 जुलाई, 2011 के प्रभाव से स्वीकृत इस महँगाई राहत की राशि का भुगतान करते समय पूर्ववर्ती कंडिकाओं में निहित सभी प्रावधानों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय। भुगतान के समय भुगतान की जाने वाली महँगाई राहत की राशि शुद्धता की जाँच कर लेना भुगतान करने वाले पदाधिकारियों का दायित्व होगा।

इस आदेश को झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत पदाधिकारियों/कर्मचारियों के प्रसंग में लागू करने का प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय की सहमति के पश्चात् झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा।

आदेश : **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण के सूचनार्थ झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(सुखदेव सिंह)
सरकार के सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची

ज्ञापांक : वि•प्र• 6ए (म•भ•)–03/09 2187 /वि० **राँची, दिनांक** 15/10/11

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले• एवं हक•), झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Office of the Accountant General (A&E) Jharkhand
19 OCT 2011
Ranchi - 834002

17/10/11
Rem (B)
L-22530

Sukhdev
15/10

(सुखदेव सिंह)
सरकार के सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची

60

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

विषय : दिनांक 01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्यकर्मियों को संविदा के आधार पर नियुक्ति किये जाने पर मानदेय राशि का निर्धारण।

वित्त विभाग, झारखण्ड के पत्र संख्या 60/वि०, दिनांक 08.01.2003 के द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्त सेवानिवृत सरकारी कर्मी के मानदेय निर्धारण करने हेतु निम्न निर्णय संसूचित है :–

"यदि सेवानिवृत सरकारी कर्मी को संविदा पर नियुक्त किया जाता है, तो उन्हें प्राप्त अन्तिम वेतन घटाव पेंशन के समतुल्य राशि नियत मानदेय के रूप में अनुमान्य होगा।"

2. दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना प्रभावी होने के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत राज्यकर्मियों को संविदा के आधार पर नियुक्ति किये जाने पर मानदेय निर्धारण के निमित्त अपुनरीक्षित अन्तिम वेतन का आधार अप्रांसगिक हो गया है, अतः इस बिन्दु पर संशोधन करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था।

3. भारत सरकार वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के संकल्प संख्या– 622(ई), दिनांक 29.08.2008 की कंडिका–12 के द्वारा दिनांक 01.01.2006 के पूर्व स्थानापन्न रूप से धारित पदों के केन्द्रीय कर्मियों का अपुनरीक्षित वेतन को दिनांक 01.01.2006 के पूर्व स्थानापन्न रूप से धारित पदों के केन्द्रीय कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतन को दिनांक 01.01.2006 के परिकल्पित पुनरीक्षित वेतन के आधार पर समान पदों पर वेतन निर्धारण का लाभ अनुमान्य किया गया है।

4. उपर्युक्त पृष्टभूमि में सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि समान पदों में संविदा के आधार पर नियुक्त/पुनर्नियोजित वैसे सेवानिवृत्त सरकारी सेवक जिनकी सेवानिवृत्ति तिथि दिनांक 01.01.2006 के पूर्व है, के अन्तिम अपुनरीक्षित वेतन को दिनांक 01.01.2006 के परिकल्पित पुनरीक्षित वेतन घटाव पुनरीक्षित पेंशन के समतुल्य राशि नियत मानदेय के रूप में स्वीकृत किया जायेगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा उसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), झारखण्ड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(सुखदेव सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः 6/एस–1(भत्ता)–01/2011–1190/180 **राँची, दिनांक** 11/6/11

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), झारखंड, हिनु, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुखदेव सिंह)
सरकार के सचिव